

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965

1	मुख्यप्रवर्तक का खाता बनाना	पंजीकरण के लिये <a href="http://www.society.uphq.in">www.society.uphq.in</a> में जायें
2	सक्षम प्राधिकारी	निबंधक / संयुक्त निबंधक
3	खाता चालू करें	मुख्यप्रवर्तक को प्राप्त आवेदन संख्या तथा प्राप्त वेरिफिकेशन कोड से खाता चालू करें तथा लॉगिन करें
4	डाकुमेंट	(i) सभी सदस्यों का चरित्र प्रमाण पत्र (ii) सभी सदस्यों का एफिडेबिट (iii) सभी सदस्यों की फोटो (iv) सभी सदस्यों की आई डी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी.
5	आवेदन पत्र सबमिट के बाद	90 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा या आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा
6	आवेदन करने के चरण	<p>चरण-1 सबसे पहले आवेदक अपना डाटा सॉफ्टवेयर में भरेंगे  </p> <p>चरण-2 प्रस्तावित सहकारी समिति की जानकारी भरेंगे  </p> <p>चरण-3 प्रस्तावित सदस्यों का पूरा विवरण भरेंगे  </p> <p>चरण-4 उप - विधियाँ हस्ताक्षर करके अपलोड करेंगे  </p> <p>चरण-5 फीस जमा करेगा  </p> <p>चरण-6 अगर आवेदन में कोई संसोधन है तो संसोधन करके पुनः आवेदन जमा करेगा  </p> <p>चरण-7 अगर निबंधन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसका स्टेटस और कारण देख सकते हैं  </p> <p>चरण-8 अगर निबंधन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेंगे  </p>
7	जनपद कार्यालय	(1)सम्बंधित अधिकारी आवेदन पत्र को वेरीफाई करते हैं अगर आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियाँ हैं या कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा है तो वापस प्रवर्तक के पास भेज सकते हैं   (2)अगर आवेदन पत्र सही है तो मंडल कार्यालय के लिए भेज सकते हैं
8	मंडल कार्यालय	(1) निबंधन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन में पायी गयी कुछ त्रुटियाँ के समय वापस आवेदन को जनपद कार्यालय भेज सकते हैं   (2) निबंधन जारीकर्ता अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं या आवेदन को निरस्त कर सकते हैं
9	हेड क्वार्टर	एक से अधिक मंडल के लिए आये आवेदन को हेड क्वार्टर स्तर पर कार्यवाही करते हुये प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा